

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 01/2024 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भीलवाड़ा

बनाम 1. राजेश कुमार शर्मा पुत्र शान्ती लाल शर्मा मैसर्स
महादेव स्वीट्स, 7/65, चन्द्रशेखर आजाद नगर,
एसबीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा

- प्रार्थी

विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 51

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 13.02.2024

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 5(1)चिस्वा./गुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 अनुसार तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी राजे 1 कुमार भार्मा पुत्र भान्ती लाल भार्मा मैसर्स महादेव स्वीट्स, 7/65, चन्द्र शेखर आजाद नगर, एसबीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को गुलाब जामुन (घी से निर्मित) आदि का विक्रय कर रहा था। राजे 1 कुमार भार्मा पुत्र भान्ती लाल भार्मा मैसर्स महादेव स्वीट्स, 7/65, चन्द्र शेखर आजाद नगर, एसबीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर गुलाब जामुन (घी से निर्मित) आम जनता के विक्रय हेतु रखी पायी गयी। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद, मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य

24

साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड गुलाब जामुन (घी से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 30.01.2024 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना गुलाब जामुन (घी से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना गुलाब जामुन (घी से निर्मित) में B.R. Reading of Extracted fat at 40⁰ C - 46.7 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 to 44.0 (Milk) होना चाहिये था। इसी प्रकार Reichert value of Extracted fat - 15.95 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Not Less than 24.0 (ghee) होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड गुलाब जामुन (घी से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती हैं। आम जीवन के लिए कोई नुकसानदेह नहीं हैं। आगे से कोई गलती नहीं होगी। कृपया प्रकरण को समाप्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./362/एक्ट/2023/384

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, गुलाब जामुन (घी से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना गुलाब जामुन (घी से निर्मित) में B.R. Reading of Extracted fat at 40° C – 46.7 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 to 44.0 (Milk) होना चाहिये था। इसी प्रकार Reichert value of Extracted fat – 15.95 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Not Less than 24.0 (ghee) होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (घी से निर्मित) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी गुलाब जामुन (घी से निर्मित) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (घी से निर्मित) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भिलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भिलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 राजेश कुमार शर्मा पुत्र शान्ती लाल शर्मा मैसर्स महादेव स्वीट्स, 7/65, चन्द्रशेखर आजाद नगर, एसबीआई बैंक के पास, भिलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भिलवाड़ा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भिलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भिलवाड़ा (राज.)